न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **42/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मनोहर लाल बुनकर एडवोकेट निवासी 9–आर–49 पटेल नगर भीलवाडा	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 14/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 18.05.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 03.04.2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 920694 जरिये डाक सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित कर सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 18/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक/सू.अ./2018/87 दिनांक 29.05.2018 से अपीलार्थी को प्रत्युत्तर प्रेषित किया जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना पत्र समयावधि में प्रस्तुत कर दिया है अतः अपील खारिज फरमाई जावे । अपीलार्थी ने दिनांक 30.05.2018 को उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की जिसके साथ सूचना पत्र क्रमांक 84 दिनांक 28.05.2018 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे भ्रमित करने वाली सूचना जारी की है। सम्बन्धित के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही फरमावें।

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा जो सूचना प्रस्तुत की उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए ग्राम गुरला की आ0नं0

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

1021/1 के सम्बन्ध में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा दिनांक 11.11.2016 को तैयार किया गया मौका पर्चा तहसील में प्रस्तुत किया उसकी प्रति चाही गई परन्तु सूचना नहीं मिलने पर यह सूचना चाही गई कि उक्त पर्चामौका किस दिनांक को व किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया उसके नाम की सूचना चाही गई। इसके सम्बन्ध में तहसीलदार भीलवाड़ा से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त पर्चामौका आवक–जावक शाखा में प्राप्त नहीं हुआ। तत्समय आवक–जावक शाखा में श्री राधेश्याम उपाध्याय सहायक कर्मचारी कार्यरत थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि चाही गई सूचना पर्चामौका की प्रति तहसील कार्यालय से ही मुझे सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है जिसकी फोटो प्रति आपत्ति के साथ प्रस्तुत है। उक्त पर्चामौका भू–अभिलेख निरीक्षक गुरला द्वारा दिनांक 03.03.2017 को तहसीलदार भीलवाड़ा को लिखित में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के पत्रांक/कोर्ट/2016/5482 दिनांक 3.10.2016 की पालना में पर्चामौका दिनांक 11.11.2016 को ही प्रस्तुत कर दिया पुनः फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को यह पर्चामौका तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक/सू0अ0/41 दिनांक 26.03.2018 से उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा जो सूचना चाही गई वह भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा दिनांक 11.11.2016 को प्रस्तुत करना बताया परन्तु वह तहसील की आवक–जावक शाखा में प्रस्तुत नहीं की एवं पुनः दिनांक 03.03.2017 को इसी पर्चामौका की फोटो प्रति प्रस्तुत की वह किस शाखा में दी गई एवं किस कार्मिक को दी गई व किस दिनांक को दी गई इसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करा दिनांक 26.03.2018 को सूचना जारी किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि वांछित पर्चामौका तहसील कार्यालय भीलवाड़ा में प्राप्त हुआ है। चूंकि तहसीलदार भीलवाड़ा के कार्यालय से जारी होने वाले समस्त पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली रिपोर्ट्स या जवाब आदि आवक–जावक शाखा में ही दर्ज होती है। परन्तु उक्त पत्र आवक–जावक शाखा में प्राप्त होने का इन्द्राज नहीं होने की सूचना अपीलार्थी को दी गई जो पर्याप्त है। सूचना तहसील कार्यालय से किस अनुभाग से जारी हुई है यह जांच का विषय है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई। सूचना विलम्ब से दी गई। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों की सूचना नियत समयावधि में पक्षकार को उपलब्ध करवाए जाने की सुनिश्चितता की जावे। अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
अपीलेट अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
भीलवाड़ा